

बिहार सरकार
जल संसाधन विभाग
कार्यपालक अभियंता का कार्यालय
जल निस्सरण प्रमंडल, बेतिया।

(E-mail : ee.drainagedivision.bettiah@gmail.com)

भाड़े का वाहन लेने हेतु अति अल्पकालीन कोटेशन आमंत्रण सूचना सं0-02/2026-27
पत्रांक:- बेतिया, दिनांक-

कार्यपालक अभियंता, जल निस्सरण प्रमंडल, बेतिया के अन्तर्गत तटबंध सम्पोषण/आकारिमक/निरीक्षण कार्य एवं अन्य कार्य हेतु दिवा-रात्री उपयोग हेतु भाड़े पर तीन अदद स्कॉरपीयो/बोलेरो (चालक सहित) वित्तीय वर्ष-2026-27 के लिए आवश्यकता है। आपूर्ति/सेवा हेतु आपूर्ति कर्ताओं/संवेदको/सेवा प्रदाताओं से निम्नांकित भाक्तों के अधीन इच्छुक वाहन मालिकों/फार्म से अल्पकालिन कोटेशन आमंत्रित किया जाता है।

नियम एवं शर्तें निम्नवत् है:-

1. वाहन 31 मार्च 2027 तक भाड़े पर रखने के लिए एकरारनामा किया जायेगा तथा एकरारित अवधि के दौरान वाहन का उपयोग वाहन मालिक/वाहन आपूर्तिकर्ताओं के द्वारा किसी निजी कार्य या व्यवसायिक कार्य में नहीं किया जायेगा। संतोषजनक सेवा रहने पर मार्च 2028 तक एक साल के लिये एकरारित दर पर ही अवधि विस्तार किया जा सकता है।
2. वाहन का मॉडल 2016 के पूर्व का नहीं होना चाहिए एवं अच्छे हालत में होना चाहिए
3. वाहन का दैनिक रख-रखाव (चालक सहित) एवं उनके सभी प्रकार के मरम्मती, तौलिया उपलब्ध कराना एवं इसकी सप्ताहिक सफाई आदि पर होने वाले व्यय वाहन मालिक/फार्म द्वारा ही किया जाएगा।
4. सभी प्रकार के करों एवं अन्य शूलक आदेयता जिम्मेदारी वाहन मालिक की होगी।
5. वाहन को वैध निबंधन (वाणिज्य निबंधन) पत्र, बीमा, रोड टैक्स, पैन कार्ड, प्रदूषण प्रमाण-पत्र एवं अन्य दस्तावेज मोटरयान अधिनियम के अनुसार अध्यतन होना चाहिए।
6. वाहन चालक के पास अध्यतन एवं वैध ड्राईविंग लाईसेन्स होना चाहिए।
7. वाहन की चोरी या दुर्घटना अथवा अन्य छति होने पर चालक सहित जिम्मेदारी वाहन मालिक/फर्म का होगा।
8. वाहन के उपयोग के विरुद्ध किराया प्रतिमाह ईधन रहित देय होगा।
9. वाहन के उपयोग के लिए लॉगबुक का संधारण वाहन मालिक की जबाब देही होगी जिसका उपयोग करने वाले पदाधिकारी यात्रा प्रयोग संबंधी आवश्यक प्रविष्ट करेंगें, जिसके आधार पर भुगतान किया जायेगा।
10. वाहन का ईधन रहित (चालक सहित) प्रतिमाह का न्यूनतम दर के कोटेशन दाता के साथ एकरारनामा किया जायेगा और उन्हें वाहन उपलब्ध कराने का आदेश दिया जायेगा। सेवा संतोष जनक नहीं होने पर अथवा वाहन की आवश्यकता नहीं रहने पर कभी भी बिना नोटिस के एकरारनामा समाप्त किया जा सकता है। आवश्यकता के अनुसार वाहन की संख्या घटायी या बढ़ायी जा सकती है। एकरारनामा 1000=00 (एक हजार) के स्टाम्प पेपर पर किया जायेगा।
11. वाहन के माईलेज वास्तविक रूप से डाले गये डीजल अथवा 10 कि0मी0 प्रति लिटर में से जो अधिक हो मान्य होगा।
12. वाहन उपयोग हेतु 24 घंटे संबंधित पदाधिकारियों के नियंत्रण में रहेगा एवं किसी भी परिस्थिति मे बिना अनुमति के कार्यालय परिसर से बाहर नहीं जायेगा। वाहन खराब होने पर वाहन मालिक/फर्म का दायित्व होगा कि वे तुरंत दुसरा वाहन उपलब्ध करायेगें, अगर वे ऐसा नहीं करते है तो उस दिन का भाड़े का भुगतान दोगुने दर से कटौती कर ली जायेगी।



13. संबंधित मद में आवंटन उपलब्ध होने पर नियमानुसार सभी करों की कटौती के पश्चात भुगतान की जायेगी।
14. कोटेशन कभी भी बिना कारण बताए अद्योहस्ताक्षरी के द्वारा रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा। इच्छुक वाहन मालिक/वाहन आपूर्तिकर्ता उक्त क्रमांक 1 से 14 तक के शर्तों को स्वीकार करने से संबंधित अपना शपथ पत्र (नोटरी द्वारा निर्गत) एवं क्रमांक 05 एवं 06 से संबंधित कागजात की सत्यापित प्रति के साथ अपना कोटेशन दिनांक 28.04.2026 तक कार्य अवधि में अद्योहस्ताक्षरी के कार्यालय में बंद लिफाफा में 3.00 बजे अपराह्न तक समर्पित करेंगे, जिसे 28.04.2026 के 4.00 बजे अपराह्न में कार्यपालक अभियंता, जल निस्सरण प्रमंडल, बेतिया के कार्यालय में खोला जायेगा। वाहन मालिक/आपूर्तिकर्ता या उनके द्वारा प्राधिकृत प्रतिनिधि कोटेशन खोलने के समय उपस्थित रहेंगे। सभी वांछित कागजात सही पाये जाने पर एवं एक से ज्यादा समान न्यूनतम दर के कोटेशन प्राप्त होने पर वैध कोटेशन दाता के बीच लॉटरी के माध्यम से वाहन मालिक/वाहन आपूर्तिकर्ताओं का चयन किया जायेगा, जिसकी सूचना (लॉटरी की तिथि) आपूर्तिकर्ताओं को उनके द्वारा उपलब्ध कराये गये **Whatsapp Number/Email** के माध्यम से दी जायेगी। वाहन मालिक/वाहन आपूर्तिकर्ता या उनके द्वारा प्राधिकृत प्रतिनिधि लॉटरी के समय उपस्थित रहेगे अन्यथा उनकी या उनके प्रतिनिधि की उपस्थिति बिना भी लॉटरी किया जायेगा तथा इस संबंध में कोई दावा मान्य नहीं होगा। कोटेशन के साथ क्रमांक 05 एवं 06 के कागजात एवं भाष्य पत्र नहीं रहने पर अमान्य कर दिया जायेगा। विशेष जानकारी कार्यालय में सम्पर्क कर अथवा कार्यालय सूचना पट के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है।

विश्वासभाजन

ह0/-

कार्यपालक अभियंता
जल निस्सरण प्रमंडल, बेतिया।

पत्रांक:- 786

बेतिया,

दिनांक- 17/04/26

प्रतिलिपि:-सूचना एवं जन सम्पर्क पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग, सिंचाई भवन, पटना को सूचनार्थ एवं विभागीय वेबसाईट पर एवं दो दैनिक प्रमुख समाचार पत्रों में प्रकाशित करने हेतु प्रेषित।

कार्यपालक अभियंता

जल निस्सरण प्रमंडल, बेतिया

